न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 32/2020
प्रविष्टि दिनांक 06.11.2020

पप्पू पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी संवारिया तहसील टोडारायसिह जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोडारायसिंह जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिह दिनांक 13.10.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री शकंर चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 24.12.2020**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 13.10.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 1.28 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम सवांरिया पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नही दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से अपीलांट की व्यक्तिशः तामिल नही करवायी और बिना तामिल के अपीलांट को उक्त कठोर निर्णय से दण्डित करने मे कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया और न ही साक्ष्य सबूत का अवसर दिया और बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये ही अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा मे निर्णय पारित करने मे गलती की है। ...जी खसरा नम्बर 132 रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक
924

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

28 है0 भूमि चरागाह नही है बल्कि अपीलांट के पिता के तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अपीलांट के पिता मौके पर बहैसियत खातेदार के काबिज चले आ रहा है। उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही है बल्कि वास्तविकता यह है कि आराजी खसरा नम्बर 132 जो कि बहुत बडा रकबा था उक्त भूमि मे से रामदेवा के नाम दिनांक 23.07.1976 को आवंटन होने के बाद जरिये नामान्तकरण संख्या 625 से गैर खातेदारी अंकित की गई है और उसके बाद रामदेवा का लगातार कब्जा होने पर खातेदारी मे अंकित की गई है। उक्त आराजी को रामदेवा ने अपीलांट के पिता नन्दलाल व फतेहलाल को दिनांक 06.10.1986 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बैचान करने पर मौके पर कब्जा मालिकाना संभला दिया गया था। विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 07.06.1989 को नामान्तकरण भर दिया गया और नन्दलाल व फतेहलाल की खातेदारी मे अंकित किया गया है।

टोडारायसिंह तहसील मे भू–प्रबंध के दौरान अपीलांट के पिता नन्दलाल व फतेहलाल की उक्त आराजी को सिवायचक कर दिया गया और उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 132 रकबा 1.28 है0 बना दिये गये और बाद मे इस भूमि को बिसलपुर परियोजना के विस्थापितो के लिए आरक्षित कर दिया गया। राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा खसरा नम्बर 132 रकबा 1.28 है0 को साबिक खसरा नम्बर 77/1857 मिन से बनना बताया है जबकि खसरा नम्बर 1/35 की साबिक खसरा नम्बर 1 मिनशीट मे कोई तरमीम नही थी। खसरा नम्बर 132 को गलत रूप से 77/1857 से बनना बताया जा रहा है जबकि मौके एंव नक्शा शीट की स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 132 साबिक खसरा नम्बर 1/35 ये सही बनना प्रतीत होता है। विवादित भूमि बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के यहां अपीलांट के पिता ने वाद बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा का मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है। जिसके संबंध मे न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2020 तक उक्त आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 1.28 के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी कर रखी है,उसके बावजूद भी तहसीलदार ने उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है बल्कि उक्त भूमि अपीलांट के पिता की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त भूमि का मौका निरीक्षण नही किया और नही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई है और बिना मौके पर जाकर स्वतंत्र गवाहान के बयान लिये ही निर्णय पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का अवसर नही दिया गया और पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा नही होने के उपरान्त भी दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो गलत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे [illegible] अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, [illegible] दस्तावेजात से अपीलाण्ट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है,परन्तु नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील नही हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 1.28 है0 किस्म चरागाह भूमि वाके ग्राम सवांरिया तहसील टोडारायसिंह पर ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 897/2020 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई हेतु न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किये जाने पर प्रथम बार जारी नोटिस को अपीलांट की पत्नि को तामिल हुआ।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत द्वितीय नोटिस जारी किये जाने पर नोटिस नारायण पुत्र रामकरण जाति माली को दिये जाने बाबत नोटिस पर तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट अकिंत है। जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही करवाई गई है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपीलांट का विधिवत नोटिस तामिल करवाये बिना ही निर्णय दिनांक 13.10.2020 पारित किया गया है जिसे अपास्त कर अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 13.10.2020 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार टोडारायसिंह को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand) प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई/साक्ष्य–सबूत पेश करने का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सखाराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner